(5)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर
(आर॰ए॰एस॰)

दायर दिनांक–21–10–2022

मुकदमा नम्बर 109/2021

शर्मिला देवी पत्नी श्री गोविन्द राम उम्र 43 वर्ष जाति माली निवासी दानसिंह की ढाणी तन झाझड़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज0)। .

.......वादीया

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

.......प्रतिवादी

वकील वादी : – श्री पंकज कुमार जांगिड
वकील प्रति॰ नं॰ :– राज–पैरोकार

दावा घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 28–03–2022

वाद–पत्र मे संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– वादी द्वारा वाद पत्र इस कदर पेश किया कि वाके ग्राम झाझड़ पटवार हल्का झाझड़ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1127 रकबा 0.2400 हैक्टर स्थित है, जिसे आगे वाद–पत्र में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित की जावेगी, जिसकी खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में आलोक, केदारनाथ पुत्र महावीर प्रसाद सैनी, कमला पुत्री नारायण, केशर पुत्र प्रभू, कालूराम पुत्र नारायण, गंगा पुत्री रेखा, गुली पत्नी माला, गोतमनाथ पुत्र महावीर प्रसाद सैनी, चतरी पुत्री रेखा, चंदा पुत्री रेखा, चावली पत्नी मूला, झाबर पुत्र माला, ताराचन्द पुत्र पूर्णमल, दुर्गा पुत्र माला, दुर्गा देवी पत्नी पूर्णमल, दिनेश कुमार पुत्र नारायण, निर्मला पुत्री महावीर प्रसाद सैनी, प्रकाश पुत्र रतनलाल, परमेश्वरी पत्नी प्रभू, बेगाराम पुत्र प्रभू, बंशीलाल पुत्र नारायण, बाबुलाल पुत्र रतनलाल, भागली पत्नी कजोड़, भोली देवी पत्नी रतनलाल, मुकेश पुत्र पूर्णमल, मणी देवी पत्नी छोटू, मदन पुत्र लादू, मनकोरी पत्नी लादू, मनोज पुत्र मूला, मूलकी देवी पत्नी महावीर प्रसाद सैनी, मांगीलाल पुत्र रतनलाल, मोहनलाल पुत्र छोटू, मोहनी पुत्री रेखा, रघुनाथ पुत्र महावीर प्रसाद सैनी, रमेश पुत्र पूर्णमल, राजकुमार पुत्र पूर्णमल, राधेश्याम पुत्र लादू, रामचन्द्र पुत्र मूला, रामधन पुत्र रतनलाल, रामनिवास पुत्र मूला, रामलाल पुत्र नारायण, रामवतार सैनी पुत्र रेखा, रिछपाल पुत्र बालूराम, विनायकनाथ पुत्र महावीर प्रसाद सैनी, शंकरलाल पुत्र नारायण, श्यामलाल सैनी पुत्र रेखा, सज्जना पुत्री पूर्णमल, सुण्डाराम पुत्र प्रभू, संजू पुत्री रतनलाल, सुमन पुत्री पूर्णमल, सुरेन्द्र पुत्र मूला, सुरेश पुत्र मूला, सुल्तान पुत्र रतनलाल, हरफूल सैनी पुत्र हरिद्वार सैनी के नाम दर्जशुदा चली आ रही है। नकल जमाबन्दी दावे के साथ प्रस्तुत है।

उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त के पूर्व खातेदार काश्तकार हरफूल सैनी पुत्र हरिद्वार सैनी ने अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा 11/84 सम्पूर्ण को जरिये रजि[illegible]–पत्र दिनांक 24.09.2021 को वादीया को विक्रय कर दिया था और वादीया उक्त हि[illegible] के रोज से ही काबिज काश्त है तथा खातेदार काश्तकार है, काश्त करती है। इस वाद में [illegible] विवाद नहीं है और न ही सह–खातेदारो से कोई विवाद है; केवल वादीया का क्रयशुदा हिस्सा 11/84 राजस्व रिकॉ[illegible]दीया के नाम दर्ज नहीं का ही विवाद है। वादीया उक्त रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र [illegible] आधार राजस्व रिकॉर्ड [illegible] नाम अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:14:54 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

करवाने हेतु पटवारी हल्का से दिनांक 08.10.2021 को मिली तो पटवारी हल्का ने नामान्तरण दर्ज करने से मना कर दिया और कहा कि कोर्ट से आदेश लेकर आओ तो ही आपका नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हो सकता है। जबकि वादीया अपने पक्ष में तस्दीक हुये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने की पूर्ण अधिकारी है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि में रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 24.09.2021 के आधार पर वादीया को हिस्सा 11/84 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है तथा पूर्व खातेदार (विक्रेता) हरफूल सैनी पुत्र हरिद्वार सैनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर इसी हिस्सेनुसार वादीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना आवश्यक है तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज शेष सह–खातेदारो को यथावत रखा जाना आवश्यक है। इसलिये वादीया के लिये यह दावा बाबत् घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकॉर्ड का पेश करना आवश्यक हुआ।

वादकारण दिनांक 08.10.2021 वादीया पटवारी हल्का से नामान्तरण करवाने हेतु मिली तो पटवारी हल्का ने नामान्तरण दर्ज करने से मना कर दिया और कहा कि कोर्ट से आदेश लेकर आओ तो ही आपका नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हो सकता है, पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरण दर्ज करने से इंकार करने के रोज बमुकाम झाझड़ पैदा हुआ। प्रतिवादी लैण्ड होल्डर है, जो आवश्यक पक्षकार होने से उसे वाद में प्रतिवादी बनाया गया है। दावा न्यायालय को सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं।

वादी द्वारा वाद पत्र पेश कर अनुतोष के संबंध मे निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1127 रकबा 0.2400 हैक्टर वाके ग्राम झाझड़ में रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 24.09.2021 के आधार पर वादीया को हिस्सा 11/84 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा पूर्व खातेदार (विक्रेता) हरफूल सैनी पुत्र हरिद्वार सैनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर इसी हिस्सेनुसार वादीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज शेष सह–खातेदारो को यथावत रखा जावें। अन्य सिद्धि जो चाही जाने से रह गई हो और वादीया के हक में पड़ती हो वह दिलवाई जावें। खर्चा मुकदमा दिलवाया जावें।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलब प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 की ओर राज पैरोकार ने उपस्थित आदेशिका पर स्पष्ट सहमति जाहिर किी दावे में राजहित प्रभावित नही होता है तो वाद वादी स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादी नम्बर 1 को कोई ऐतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादी के द्वारा वाद–पत्र स्वीकार किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने से प्रकरण में विवाद्यक बिन्दु यानि तनकीयात कायम करने की आवश्यक नही होने पर सीधे ही शहादत ली गई। शहादत वादी में वादिया शर्मिला देवी पत्नी श्री गोविन्दराम जाति माली निवासी दानसिह की ढाणी तन झाझड उपस्थित न्यायालय हाजा हो अपने मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। इसके अतिरिक्त गवाहान गोविन्द राम सैनी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति माली निवासी दानसिंह की ढाणी उपस्थित हो अपने शपथ पत्र पेश किये जो शामिल पत्रावली है। अन्य कोई शहादत वादी पेश नही करना जाहिर किया गया। शहादत वादी बंद की गई। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेजात यथा प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–2078, प्रदर्श–2 असल विक्रय–पत्र आदि प्रदर्शित कराये गये।

शहादत होने पर बहस वकील वादी सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम झाझड़ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1127 रकबा 0.2400 हैक्टर स्थित है, जिस [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में आलोक, केदारनाथ पुत्र महावीर प्रसाद सैनी, कमला पुत्री नाराय[illegible] रेखा, गुली पत्नी माला, गोतमनाथ पुत्र महावीर प्रसाद सैनी, [illegible] पत्नी मूला, झाबर पुत्र माला, ताराचन्द पुत्र पूर्णमल, दुर्गा पुत्र माला, दुर्गा देवी पत्नी पूर्णमल, [illegible] कुमार पुत्र नारायण, निर्मला पुत्री महावीर प्रसाद सैनी, प्रकाश पुत्र रतनलाल, परमेश्वरी पत्नी प्रभू, बेगाराम [illegible] प्रभू, बंशीलाल पुत्र नारायण, बाबुलाल पुत्र रतनलाल, भागली पत्नी कजोड़, भोली देवी पत्नी रतनलाल, मुकेश पुत्र पूर्णमल, मणी देवी पत्नी छोटू, मदन पुत्र लादू, मनकोरी पत्नी लादू, मनोज पुत्र मूला, मूलकी देवी पत्नी महावीर प्रसाद सैनी, मांगीलाल पुत्र रतनलाल,

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:44:54 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

मोहनलाल पुत्र छोटू, मोहनी पुत्री रेखा, रघुनाथ पुत्र महावीर प्रसाद सैनी, रमेश पुत्र पूर्णमल, राजकुमार पुत्र पूर्णमल, राधेश्याम पुत्र लादू, रामचन्द्र पुत्र मूला, रामधन पुत्र रतनलाल, रामनिवास पुत्र मूला, रामलाल पुत्र नारायण, रामवतार सैनी पुत्र रेखा, रिछपाल पुत्र बालूराम, विनायकनाथ पुत्र महावीर प्रसाद सैनी, शंकरलाल पुत्र नारायण, श्यामलाल सैनी पुत्र रेखा, सज्जना पुत्री पूर्णमल, सुण्डाराम पुत्र प्रभू, संजू पुत्री रतनलाल, सुमन पुत्री पूर्णमल, सुरेन्द्र पुत्र मूला, सुरेश पुत्र मूला, सुल्तान पुत्र रतनलाल, हरफूल सैनी पुत्र हरिद्वार सैनी के नाम दर्जशुदा चली आ रही है जो पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श –1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 से सह–खातेदार काश्तकार सिद्ध होते है।

वादग्रस्त के पूर्व खातेदार काश्तकार हरफूल सैनी पुत्र हरिद्वार सैनी ने अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा 11/84 सम्पूर्ण को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 24.09.2021 को वादीया को विक्रय कर दिया। जो प्रदर्श –2 असल विक्रय पत्र से प्रमाणित होता है। वाद में खातेदारी संबंधी कोई विवाद नहीं है और न ही सह–खातेदारो से कोई विवाद है; केवल वादीया का क्रयशुदा हिस्सा 11/84 राजस्व रिकॉर्ड में वादीया के नाम दर्ज नहीं, का ही विवाद है। जबकि वादीया अपने पक्ष में तस्दीक हुये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने की पूर्ण अधिकारी है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि में रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 24.09.2021 के आधार पर वादीया को हिस्सा 11/84 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर पूर्व खातेदार (विक्रेता) हरफूल सैनी पुत्र हरिद्वार सैनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप वादिया का वाद स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम झाझड़ स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1127 रकबा 0.2400 हैक्टर में वादीया को हिस्सा 11/84 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा पूर्व खातेदार (विक्रेता) हरफूल सैनी पुत्र हरिद्वार सैनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ करने के आदेश दिये जाते है। शेष सह–खातेदारों की खातेदारी यथावत रखी जावे। घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 28.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:14:54 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर॰ए॰एस॰).

दावा घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 130 / 2021 (**शर्मिला देवी बनाम लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ**)

पर्चा डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर॰ए॰एस॰), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 28.03.2022 निर्णय अनुसार वाद वादी प्राथमिक रूप स्वीकार किया जाता है। ग्राम झाझड़ स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1127 रकबा 0.2400 हैक्टर में वादीया को हिस्सा 11/84 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा पूर्व खातेदार (विक्रेता) हरफूल सैनी पुत्र हरिद्वार सैनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ करने के आदेश दिये जाते है। शेष सह–खातेदारों की खातेदारी यथावत रखी जावे। घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

जिन.........–......... मुबलिग..........–..........बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–...... फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.........का अदा करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.03.**2022** को जारी की गई।

(दमयंती कवंर)
ए॰सी॰ई॰एम॰ (फा॰ट्रे॰) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	04.00	मुतफरिक	0.00
कुल	10.00		0.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:14:54 IST
Reason: SelfAttested